मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

बुधवार, दिनांक 24 फरवरी, 2010 (फाल्गुन 5, 1931)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.33 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 16 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 62 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 71 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. अध्यक्षीय व्यवस्था

"राष्ट्रीय पर्व के दौरान कार्यक्रमों में व्यक्तिगत पुरस्कार वितरण" संबंधी श्री ताराचंद बावरिया, सदस्य के प्रश्न संख्या 6 (क्र. 728) पर चर्चा के दौरान अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि जिला स्तर पर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के मध्य सामंजस्य करके ऐसे छोटे एवं कम महत्वपूर्ण प्रश्नों को टालकर सदन की कार्यवाही के लाखों रूपयों की बचत की जा सकती है । अतः माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम से संसदीय कार्य मंत्री द्वारा समस्त जिलाध्यक्षों एवं अधिकारियों को निर्देश प्रसारित किए जाएं कि जन प्रतिनिधियों के साथ जनहित के मुद्दों पर अच्छा संवाद स्थापित कर समाधान करें।

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने आसंदी की व्यवस्था के अनुरूप पत्र जारी करने हेतु आश्वस्त किया।

3. नियम 267- के के अधीन विषय

(1) श्री प्रताप ग्रेवाल, सदस्य ने धार के सरदारपुर स्थित मैक्सोडेम से पाइप लाईन बिछाने,

(2) श्री अजय सिंह, सदस्य ने उज्जैन में राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन की राशि न दी जाने,

(3) श्री पारस दादा, सदस्य ने रतलाम के मिल मजदूरों को पुनर्वास राशि वितरण न करने,

(4) श्री आरिफ अकील, सदस्य ने पशु संचालनालय द्वारा फ्रीज खरीदी में अनियमितता करने,

(5) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य ने नागदा ग्रेसिम उद्योग जल अभाव के कारण बंद होने की स्थिति में होने,

(6) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य ने भिण्ड जिले के रौन विकासखंड की शालाओं में आर्थिक अनियमितताएं होने,

(7) श्री देवेन्द्र पटेल, सदस्य ने रायसेन जिले में नहरों का कार्य न होने तथा

(8) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य ने मंदसौर शहर के सम्राम बाजार स्थित एक मकान के ढहने से जन हानि होने संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत कीं।

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए।

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री राघवजी वित्त मंत्री ने -

(क) राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 (क्रमांक 63 सन् 1951) की धारा 37 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार, मध्यप्रदेश वित्त निगम का 54वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2008-2009, तथा

(ख) भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-झ के खण्ड (4) की अपेक्षानुसार, तृतीय राज्य वित्त आयोग का प्रतिवेदन एवं इस पर राज्य शासन का कृत कार्यवाही प्रतिवेदन,

पटल पर रखे।

(2) श्री राजेन्द्र शुक्ल, खनिज मंत्री ने कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार, मध्यप्रदेश ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन लिमिटेड का तीसवां वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे दिनांक 31 मार्च, 2007 को समाप्त वर्ष के लिये पटल पर रखे।

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए।

5. ध्यानाकर्षण

(1) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य ने भिण्ड जिले में आपराधिक घटनाओं पर अंकुश न लगने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री उमाशंकर गुप्ता, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री रामनिवास रावत, डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य ने हरदा जिले के मगरधा वन परिक्षेत्र अंतर्गत अवैध कटाई होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री सरताज सिंह, वन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

6. वन मंत्री का वक्तव्य

श्री सरताज सिंह, वन मंत्री ने दिनांक 17 नवम्बर, 2009 को पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 1 (क्रमांक 5) के उत्तर में संशोधन किये जाने के संबंध में वक्तव्य दिया।

7. महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा (क्रमशः)

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर दिनांक 23 फरवरी, 2010 को प्रारम्भ हुई चर्चा के क्रम में श्री रामलखन सिंह ने अपना भाषण पूर्ण किया तथा निम्नलिखित माननीय सदस्यगण ने भी भाग लिया :-

(18) श्री विश्वास सारंग
(19) श्रीमती मीरा यादव
(20) श्री गोविन्द सिंह राजपूत (भाषण अपूर्ण)

(अपराह्न 1.00 बजे से 2.32 बजे तक अन्तराल)

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए।

श्री गोविन्द सिंह राजपूत ने अपना भाषण पूर्ण किया।

(21) श्री गिरिजा शंकर शर्मा

8. गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के चतुर्थ प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं पारण

श्री परसराम मुद्‌गल, सदस्य ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के चतुर्थ प्रतिवेदन प्रस्तुत किया । प्रतिवेदन इस प्रकार है :-

समिति ने दिनांक 26 फरवरी, 2010 को चर्चा के लिये आने वाले गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार किया तथा निम्नलिखित समय अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिये निर्धारित करने की सिफारिश की है :-

अशासकीय संकल्प		**शुक्रवार, दिनांक 26 फरवरी, 2010**	**निर्धारित समय**
1.	(क्रमांक-5)	श्री रमेश प्रसाद खटीक	1 घन्टा
2.	(क्रमांक-29)	डॉ. गोविन्द सिंह	1 घन्टा
3.	(क्रमांक-34)	श्री नारायण प्रजापति	30 मिनिट

श्री परसराम मुदगल, सदस्य ने प्रस्ताव किया कि सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के चतुर्थ प्रतिवेदन से सहमत है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

9. महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा (क्रमशः)

(22) श्री परसराम मुद्‌गल
(23) श्री आरिफ अकील
(24) श्री बृजमोहन धूत
(25) श्रीमती साधना स्थापक
(26) राव देशराज सिंह
(27) श्री के.पी. सिंह

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए।

(28) श्री नारायण प्रजापति
(29) श्री माखनलाल राठौर
(30) श्री सुनील जायसवाल
(31) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी
(32) श्री सुरेन्द्र गहरवार
(33) श्रीमती जमुना देवी, नेता प्रतिपक्ष

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

समस्त संशोधन अस्वीकृत हुए।

कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 5.25 बजे विधानसभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 25 फरवरी, 2010 (फाल्गुन 6, 1931) के 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 24 फरवरी, 2010